

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-51/2023 प्रार्थना पत्र

- 1-श्री कालूराम पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 2-श्री चांदमल पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 3-पप्पुलाल पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 4-राजकुमार पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 5-रोशनलाल पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

- 1- श्री डालचन्द पिता प्यारचंद माली निवासी नृसिंग द्वारा के पास, माली मौहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थित :-

- 1-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्रवण कुमार सैन
- 2-अधिवक्ता विपक्षी सं. 01 श्री मुकेश धोबी

:: निर्णय ::

दिनांक:-26.02.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम पुर प0ह0 पुर भूअ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 1851 रकबा 0.1517 हैकटेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रेकार्डेड रास्ता मुख्य सडक से होते हुए ग्राम पुर में स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1853, 1852 की उत्तरी दिशा की मेड के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1851 में आया जा सकता है जो कि 20 फीट चौडाई का है तथा आराजी संख्या 1853,1852 विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा विपक्षी संख्या 01 ने उक्त वर्णित आराजियात को नारायण पिता कजोड माली से क़य की उसके समय से ही उक्त वर्णित भूमि में आने जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है लेकिन हम प्रार्थीगण को रास्ता नही देने के आशय से उक्त वर्णित आराजियात को विक्रय कर दी है इसलिए हम प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1853, 1852 में से रास्ता दिया जाकर उपरोक्त अनुसार अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता हैतथा उक्त रास्ते से ही अन्य खातेदार भी अपनी आराजी में आते जाते हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

पर मौजूद नहीं है प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 1853, 1852 की उत्तरी दिशा की मेड के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ाई के रास्ते को रास्ते के रूप में कायम करा उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अलग से खाता कायम करा, नक्शे में भी तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावे प्रार्थीगण सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भगतान करने के लिए सदैव से तैयार एवं तत्पर है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1851 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1852, 1853 किता 02 कुल रकबा 0.0758 हैक्टेयर भूमि की उत्तरी दिशा की मेड के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित करा बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध दिनांक 28.03.2023 को एक तरफा कार्यवाही की गई, अप्रार्थी संख्या 01 की और से दिनांक 22.6.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 8.8.2023 को स्वीकार कर एक तरफा कार्यवाही को दो तरफा के आदेश दिये गये, तत्पश्चात वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया अतः अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया जाता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजियात ग्राम पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 1851 रकबा 0.1517 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रेकार्डेड रास्ता मुख्य सडक से होते हुए ग्राम पुर में स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1853, 1852 की उत्तरी दिशा की मेड के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1851 में आया जा सकता है जो कि 20 फीट चौड़ाई का है, मौके पर रास्ता 20 फीट चौड़ाई का दर्ज कराया जाकर रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना करा मुआवजा का निर्धारण कर जमा कर विपक्षी संख्या 01 के खाते में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज कराई जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

• क्या प्रार्थी/प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हाँ तो रास्ते का उल्लेख करे :- प्रकरण में तहसीलदार

Shod
राजस्व अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। (नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है)

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :- रास्ता निकटतम है एवं प्रस्तावित किया गया है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की आराजियात चाहते हैं तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :- तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थी की आराजियात नहीं चाहते हैं।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :- तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया, आपसी सहमति से रास्ता देने बाबत सहमति नहीं बनी रास्ते हेतु कुल भूमि जो कि 02 गट्टे बनती है। जिसका रकबा आराजी नम्बर 10934/1853 में से रकबा 0.0082 हैक्टेयर, व आराजी नम्बर 1852 में से रकबा 0.0082 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0164 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई। मौका पर्चा संलग्न है।
5. सहमति नहीं होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई X चौड़ाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका):-तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम है, रास्ते की चौड़ाई 20 फीट व लम्बाई 42 फीट अर्थात 0.0164 हैक्टेयर भूमि है। उक्त आराजी की डीएलसी दर 5663713/- रुपये प्रति हैक्टेयर है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से दुगुना करने पर 208425/- रुपये बनती है। (मौका पर्चा, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1851 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 1853, 1852 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी उपयोग करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आराजी नं0 10934/1853, 1852 विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1851 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Shad
उपरोक्त आशयकार एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1-ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

2. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप-धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिघृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप-धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।


अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Anad
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजायक कलक्टर
भीलवाड़ा

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 1851 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की मौजा पुर के आ.नं. 10934/1853 में से व आराजी संख्या 1852 में से लम्बाई 42 फीट व चौड़ाई 20 फीट का कुल क्षेत्रफल 0.0164 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से राशि जो डीएलसी दर का दोगुना करने पर 208425-00 राशि रूपये जो कि अप्रार्थी संख्या 01 देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात् 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।


(आन्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा